

छत्तीसगढ़ विधानसभा
पत्रक भाग-एक
संक्षिप्त कार्य विवरण
गुरुवार, दिनांक 15 दिसम्बर, 2011
(अग्रहायण-24, शक संवत् 1933)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.04 बजे समवेत हुई।
(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1. राष्ट्रगीत

सदन में **वन्दे मातरम्** की धुन बजाई गई।

2.निधन का उल्लेख

माननीय अध्यक्ष ने श्रीमती गीतादेवी सिंह, पूर्व मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, श्री श्यामसुंदर अग्रवाल, अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्य, श्री राजेन्द्र पामभोई, छत्तीसगढ़ विधान सभा के पूर्व सदस्य एवं श्री अश्वनी दुबे, अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्य के निधन पर शोकोद्गार व्यक्त किए।

मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य सर्वश्री सौरभ सिंह, शिवराज सिंह उसारे, अजीत प्रमोद कुमार जोगी, संसदीय कार्यमंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य श्री देवजी पटेल एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्री केदार कश्यप ने भी शोकोद्गार व्यक्त किए।

सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी गई एवं शोक संतप्त परिवारों के लिए संवेदना प्रकट की गई।

(दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्यवाही 11.41 बजे स्थगित होकर 11.48 बजे पुनः प्रारंभ हुई।)

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

3. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 एवं 02 (कुल 02) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिए गए।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 14 तारांकित एवं 29 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

4. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

माननीय अध्यक्ष महोदय ने कार्यमंत्रणा समिति की बैठक गुरुवार, दिनांक 15 दिसम्बर, 2011 की निम्नांकित सिफारिशों से सदन को अवगत कराया :-

<u>वित्तीय कार्य</u>	<u>निर्धारित समय</u>
वर्ष 2011-2012 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चा, मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, विचार एवं पारण.	03 घंटे
<u>विधि विषयक कार्य</u>	<u>निर्धारित समय</u>
(1) छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2011	15 मिनट
(2) छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011	1 घंटा 30 मिनट
(3) छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2011	30 मिनट
(4) छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2011	45 मिनट

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सदन कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को स्वीकृति देता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

5. अशासकीय संकल्पों के लिये समय निर्धारण की घोषणा

माननीय अध्यक्ष ने शुक्रवार, दिनांक 16 दिसम्बर, 2011 के अशासकीय दिवस हेतु निर्धारित अशासकीय संकल्पों हेतु निम्नानुसार समय निर्धारित किया :-

<u>अशासकीय संकल्प क्रं.</u>	<u>सदस्य का नाम</u>	<u>आवंटित समय</u>
1. (क्रमांक - 01)	डॉ.हरिदास भारद्वाज	1 घंटे 15 मिनट
2. (क्रमांक - 08)	श्री राजकमल सिंघानिया	1 घंटे 15 मिनट

6. अगस्त-सितम्बर, 2011 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों के संकलन का पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार अगस्त-सितम्बर, 2011 के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन पटल पर रखा गया।

7. नियम 267-क के अधीन अगस्त-सितम्बर, 2011 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार नियम 267-क के अधीन अगस्त-सितम्बर, 2011 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा गया।

8. राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि तृतीय विधान सभा के अगस्त-सितम्बर, 2011 सत्र में पारित 07 विधेयकों में से सभी 07 विधेयकों पर महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई है। अनुमति प्राप्त विधेयकों का विवरण सचिव, विधान सभा सदन के पटल पर रखेंगे।

सचिव, विधान सभा द्वारा अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक-30-क की अपेक्षानुसार, तृतीय विधान सभा के अगस्त-सितम्बर, 2011 सत्र में पारित 07 विधेयकों में से सभी 07 विधेयकों पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो गई है, का विवरण सदन के पटल पर रखा गया।

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि अनुमति प्राप्त विधेयकों के नाम दर्शाने वाला विवरण पत्रक भाग-दो के माध्यम से माननीय सदस्यों को पृथक से वितरित किया जा रहा है।

9.सभापति तालिका की घोषणा

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम-निर्दिष्ट किया गया :-

- (1) श्री बद्रीधर दीवान
- (2) श्री धर्मजीत सिंह
- (3) डॉ.शक्राजीत नायक
- (4) डॉ.हरिदास भारद्वाज
- (5) श्री देवजी पटेल
- (6) श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर

10. ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार आज की कार्यसूची में दर्ज ध्यानाकर्षण की सूचनाएं आगामी कार्य दिवस के लिए स्थगित की गईं।

11. मंत्रि-परिषद् में अविश्वास प्रस्ताव की सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि उनके पास मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह एवं उनके मंत्रि-मंडल के प्रति अविश्वास प्रस्ताव की एक सूचना श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष की ओर से प्राप्त हुई है, जिसे वे पढ़कर सुनाते हैं:-

“ यह सदन मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह एवं उनके मंत्रि-मंडल के विरुद्ध अविश्वास व्यक्त करता है। ”

माननीय अध्यक्ष ने सदन से जानना चाहा कि जो माननीय सदस्य इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किये जाने की अनुमति दिये जाने के पक्ष में हों वे कृपया खड़े हो जायें।

(उपस्थित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों के खड़े होने के पश्चात्)

माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि चूंकि नियमावली के नियम 143 के उप नियम (2) की अपेक्षानुसार सदस्यों की समस्त संख्या में से दशांश सदस्य खड़े हुए हैं, इसलिए इस प्रस्ताव पर चर्चा के लिए वे अनुमति देते हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए शासन की सहमति के उल्लेख के साथ चर्चा प्रारंभ कराने का अनुरोध किया ।

श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष ने आसंदी से आग्रह किया कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए आगामी दिवसों की तिथियों का निर्धारण किया जाये ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने पूर्व उदाहरण के साथ पुनः यह उल्लेख किया कि जिस दिन अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत होता है उसी दिन उस पर चर्चा की जाती है इसलिए आसंदी से अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शीघ्र प्रारंभ करने का पुनः आग्रह किया ।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री द्वारा भी अविश्वास प्रस्ताव पर आज ही चर्चा प्रारंभ कराने का अनुरोध करते हुए आसंदी के निर्णय को मान्य करने संबंधी कथन किया गया ।

श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष एवं प्रतिपक्ष के अन्य सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हेतु तिथि का निर्धारण करने का पुनः अनुरोध किया ।

माननीय अध्यक्ष ने माननीय सदस्यों की भावनाओं को विचार में लेते हुए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हेतु शुक्रवार, दिनांक 16 दिसम्बर, 2011 को मध्याह्न 12.00 बजे का समय निर्धारित किया ।

अपराह्न 12.31 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 16 दिसम्बर, 2011 (अग्रहायण 25, शक संवत् 1933) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा